रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941
No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

(i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;

(ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;

(iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;

(iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;

(v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्व्ारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;

(vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;

(vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;

(viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

(i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no.________________________ standing at______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of ……………………………………who is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of depositor/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date ....

Payment detail

Principal amount Rs.____

(+) Interest due Rs. ____

(-) Recovery of overpaid interest Rs.____

Deduction if any Rs____

Total Amount due Rs____

Pay Rs.____________________(in figurers)____________________________________(in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs .____________(In figures)______________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing no……………………………………dated…………………./by transfer to Account No..............................

Date Signature/thumb impression of depositor/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 915(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(**1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होगा ।

2. **परिभाषा –** (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो, वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररुप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम,2018 अभिप्रेत है;

(च) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीँ है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में और साधारण नियम में है।

3. **खातोँ की संख्या की सीमा** – (1) कोई व्यक्ति प्ररुप-1 में आवेदन देकर खाता खोल सकेगा।

(2) कोई व्यष्टि, प्रत्येक अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की ओर से भी खाता खोल सकेगा:

परंतु, किसी संरक्षक द्वारा अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से केवल एक खाता खोला जाएगा।

(3) इस स्कीम के अधीन संयुक्त खाता नहीँ खोला जाएगा।

4. **अभिदान की सीमा** – (1) एक निक्षेप पचास रुपए के गुणक में पांच सौ रुपए से कम और एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो, एक वर्ष में खाता में किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यष्टि द्वारा उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट एक लाख पचास हजार रुपए की अधिकतम सीमा स्वयं के खाते में किए गए निक्षेपों का समावेशी होगा।

5. **निक्षेप करने की रीति** – (1) कोई खाता कम से कम पांच सौ रुपए के निक्षेप से खोला जा सकेगा और उसके पश्चात् पचास रुपए के गुणक में कोई भी राशि निक्षेप की जा सकेगी।

(2) खाते में निक्षेप पैरा 4 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन खाते में एक मुश्त राशि या किस्तों में किया जा सकेगा।

6. **खाते को बंद करना** – (1) कोई खाता, जिसमें कोई खाताधारक प्रारंभिक वर्ष में पांच सौ रुपए जमा करके, निम्नलिखित वर्षों में न्यूनतम रकम का निक्षेप करने में असफल रहता है, तो उसका खाता बंद हुआ समझा जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन बंद किया गया कोई खाता प्रत्येक वर्ष की त्रुटि के लिए न्यूनतम पांच सौ रुपए बकाया के साथ पचास रुपए फीस का संदाय परिपक्वता अवधि के दौरान करके पुनरुजीवित कर सकेगा:

परंतु बंद किये गए खाते में अतिशेष इसकी परिपक्वता के पूर्व खाता धारक द्वारा पुनरुजीवित नहीं है, समय-समय पर स्कीम की लागू दर पर ब्याज पाता रहेगा।

(3) बंद खाते का खाता धारक, परिपक्वता के पश्चात् ऐसे बंद खाते की बंदी के पूर्व नया खाता खोलने के लिए अर्ह नहीँ होगा:

पंरतु ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा ऐसे खाते में अनुज्ञात नहीँ की जाएगी और खाताधारक ऐसे खाते की अंतिम बंदी तक इस स्कीम के अधीन अपने नाम से अन्य खाता खोलने से प्रतिषिद्ध होगा।

(4) ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार केवल नियमित खातों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

(5) पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष में कुल निक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों के व्यतिक्रम के वर्षों के संबंध में किए गए निक्षेपों सहित होगा परंतु व्यतिक्रम रहित को अपवर्जित करेगा।

7. **ब्याज** – (1) प्रतिवर्ष 7.9 प्रतिशत ब्याज मास के पांचवे दिन और अंतिम दिन की समाप्ति के बीच खाते की जमा पर निम्नतम अतिशेष पर कैलेन्डर मास के लिए अर्ह होगा।

(2) प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते पर ब्याज जमा होगा।

(3) वर्ष के दौरान अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन का विचार किए बिना वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा।

8. **ऋण** – (1) वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, परंतु वर्ष के अंत से पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, खाता धारक तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष के

दूसरे वर्ष की समाप्ति पर,जिसमें ऋण के लिए आवेदन किया है, उसके जमा के लिए जारी कुल रकम का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि के ऋण को सम्मिलित करके प्राप्त करने के लिए लेखा कार्यालय को प्ररुप-2 में आवेदन कर सकेगा ।

(2) अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के मामले में, सरंक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को जमा करके अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए ऋण हेतु आवेदन दे सकेगा, अर्थात् :-

"यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्याहरण की मांग के बीच उपयोग के लिए अपेक्षित है और श्री/श्रीमती/मास्टर/कुमारी.................. के कल्याण के लिए, जो अवयस्क/विकृत्तचित्त व्यक्ति/शारीरिक शैथिल्यता के कारण अपने खाते का प्रचालन करने में असमर्थ व्यक्ति है और दिन.........मास...........वर्ष....................को जीवित है ।"

(3) खाता धारक नए ऋण के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक पूर्ववर्ती ऋण का उसके ब्याज सहित पूर्णतया प्रतिसंदाय न कर दे ।

(4) खाता धारक एक वर्ष में केवल एक ऋण के लिए हकदार होगा ।

9. **ऋण और ब्याज का प्रतिसंदाय**-(1) ऋण का मूल रकम अनुगामी मास जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया है, के मास के प्रथम दिन से छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा प्रतिसंदाय किया जाएगा:

परंतु, प्रदिसंदाय या तो एकमुश्त राशि या किस्तों में कर सकेंगे ।

(2) ऋण के मूल रकम का पूर्णतया प्रतिसंदाय के पश्चात्, खाता धारक अनुगामी मास के जिसमें मास के अंतिम दिन ऋण लिया गया है, जिसमें ऋण की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया गया है, के मास के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए मूल ऋण एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दो मासिक किस्तों से अनधिक ब्याज संदत्त करेगा:

परंतु, जहां छत्तीस मास की अवधि के भीतर ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, या भाग में प्रतिसंदाय किया गया है, बकाया ऋण के रकम पर ब्याज एक प्रतिशत प्रति वर्ष के एवज में छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भारित होगा, अनुगामी मास के प्रथम दिन से प्रभावी, जिसमें ऋण प्राप्त किया गया था, मास के अंतिम दिन जिसमें ऋण का अंतिम रुप से प्रतिसंदाय किया गया ।

(3) उप-पैरा (2) के परंतुक के अधीन बकाया ऋण की रकम पर ब्याज और संदत्त ब्याज का कोई भाग, जो संदत्त नहीं है, किसी ऋण पर मूल रकम छत्तीस मास की अवधि के भीतर पहले से ही प्रतिसंदत्त है, बकाया होने पर, खाता-धारक के खाते से विकलित की जाएगी ।

(4) वसूली योग्य ब्याज केन्द्रीय सरकार को प्रोत्भूत होगा ।

(5) बकाया ऋण पर ब्याज, जो छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं है या भागतः संदत्त है, प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता धारक के खाते से विकलित होगा ।

(6) खाता धारक की मृत्यु की दशा में, नामिती या विधिक उत्तराधिकारी खाता धारक द्वारा उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु उसकी मृत्यु से पूर्व संदत्त न किया हो । ऐसे देय ब्याज की रकम खाते के अंतिम बंदी के समय समायोजित किया जाएगा ।

10. **खाते से प्रत्याहरण** – (1) उस वर्ष के अंत से पांच की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, जब खाता खोला गया था, खाता धारक अपने प्रत्यय के अतिशेष से प्ररुप-2 में आवेदन करके प्रत्याहरण का उपयोग कर सकेगा, जो रकम के पचास प्रतिशत से अधिक की रकम न हो, जो प्रत्याहरण के वर्ष के तत्काल चार पूर्ववर्ती वर्ष के अंत पर या पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर, जो भी न्यूनतम हो :

परंतु, बकाया ऋण की रकम, यदि कोई हो, ब्याज के साथ इस पैरा के अधीन प्रत्याहरण की सुविधा का उपभोग करने से पूर्व खाता धारक द्वारा संदत्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि प्रत्याहरण की सुविधा केवल खातों से वर्ष में केवल एक बार उपयोग कर सकेगा, जो बंद न हुआ हो ।

(2) अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा मे, संरक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्याहरण हेतु आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :-

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/मास्टर/कुमारी... जो अवयस्क /विकृत्तचित्त व्यक्ति/शारिरिक दुर्बलता के कारण अपना खाता खोलने में असमर्थ व्यक्ति है................................ (दिन).....................(मास)...........................(वर्ष) को जीवित है, के प्रयोग और कल्याण के लिए अपेक्षित है ।"

11. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के बिना खाते की बंदी या खाते को चालू रखना**- (1) वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, जब वह खाता खोला गया था, खाता धारक अपने खाते की बंदी के लिए खाता कार्यालय को प्ररुप-3 में आवेदन कर सकेगा । खाता कार्यालय पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक, जिसमें खाता बंद किया गया है, बकाया ब्याज सहित सम्पूर्ण अतिशेष के प्रत्याहरण की अनुज्ञा देगा ।

(2) खाता धारक किसी अवधि के लिए किसी भावी निक्षेपों को किए बिना परिपक्वता के पश्चात् अपने खाते का प्रतिधारण कर सकेगा और खाते का अतिशेष स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज प्राप्त करता रहेगा :

परंतु, खाता धारक अतिशेष के भीतर किसी रकम का प्रत्येक वर्ष में एक प्रत्याहरण कर सकेगा ।

(3) एक वर्ष से अधिक निक्षेपों के बिना खाता एक बार चालू है, तो खाता धारक को पुनः निक्षेपों के साथ खाते को चालू रखने का विकल्प नहीं होगा ।

12. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के साथ खाते का विस्तार** – (1) पैरा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खाता धारक वर्ष के अंत से पंद्रह वर्षों की समाप्ति पर, जिसमें खाता खोला गया था अपने खाते का विस्तार कर सकेगा और प्ररुप-4 में लेखा कार्यालय को आवेदन द्वारा आगे पांच वर्षों की ब्लाक अवधि के लिए पैरा 4 के अधीन निक्षेप को चालू रख सकेगा ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन खाते के विस्तार का विकल्प खाते के परिपक्वता से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा किया जा सकेगा:

परंतु, अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया खाता संरक्षक के अनुरोध पर विस्तारित किया जा सकेगा ।

(3) यदि खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर खाते को चालू करने के लिए अपने विकल्प देने में असफल रहता है, तो खाते में कोई भी निक्षेप नहीं किया जा सकता है । ऐसे खाते में किया गया कोई भी निक्षेप अनियमित समझा जाएगा और किसी ब्याज के बिना तत्काल लेखा कार्यालय द्वारा वापस कर दिया जाएगा ।

परंतु, परिपक्वता की तारीख पर खाते में अतिशेष बंदी के मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक प्राप्त को चालू रखेगा ।

(4) स्कीम के पैरा 10 के अधीन आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा उप-पैरा (1) के अधीन विस्तारित खाते के लिए उपलब्ध होगा, पांच वर्षों के ब्लाक अवधि के दौरान कुल प्रत्याहरण की शर्त के अधीन यह है कि ब्लाक अवधि के आरंभ पर अतिशेष के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परंतु प्रत्याहरण, उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन या तो एकल या वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा ।

(5) उप-पैरा (1) उप-पैरा (4) तक के उपबंध पांच वर्षों की प्रत्येक विस्तारित ब्लाक अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता के पश्चात् के खातों पर भी लागू होगा ।

(6) यदि खाता, एक या पांच से अधिक ब्लाक अवधियों के लिए निक्षेपों के साथ चालू है, खाता धारक किसी ब्लाक, अवधि के पूर्ण होने पर निक्षेपों के बिना खाते को छोड़ सकेगा और खाता के बंद होने तक ब्याज पाता रहेगा तथा खाता धारक खाते से प्रत्येक वर्ष एक प्रत्याहरण कर सकेगा ।

(7) खाता धारक, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए खाते के विस्तार के लिए अपने विक्ल्प को दिया है, बाद के प्रक्रम पर अपने अनुरोध को प्रत्याहरण करने के लिए विकल्प नहीँ होगा ।

13. **खाते की समयपूर्व बंदी**–(1) एक खाता धारक निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, प्ररुप – 5 में लेखा कार्यालय को आवेदन अपने खाते या अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की समयपूर्व बंदी अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

(क) खाता धारक, उसकी पति पत्नी या आश्रित बच्चे या माता-पिता के जानलेवा बीमारी का ईलाज, चिकित्सा प्राधिकारी के ईलाज से सहयोगकारी दस्तावेजों और ऐसे रोगों को स्पष्ट करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर;

(ख) भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रवेश की पुष्टि में दस्तावेजों और फीस के बिलों को प्रस्तुत करने पर खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा;

(ग) पासपोर्ट या वीजा या आयकर विवरणी के प्रस्तुत करने पर खाता धारक के निवासी प्रास्थिति में परिवर्तन होने पर:

परंतु इस स्कीम के अधीन खाता वर्ष के अंत से, जिसमें खाता खोला गया था, पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व बंद नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसे समयपूर्व बंदी पर, खाता का ब्याज ऐसे दर पर अनुज्ञात की जाएगी, जो उस दर से एक प्रतिशत के कम होगा, जो खाते के खोलने की तारीख से या खाते के विस्तार की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर खाते में प्रत्यय हुई है ।

14. **खाताधारक की मृत्यु पर खाते की बंदी** – (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता बंद हो जाएगा और नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी खाते को चालू करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

(2) मृत खाताधारक के खाते में अधिशेष पूर्ववर्ती मास के अंत पर जिसमें पात्र अधिशेष नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को जैसी भी दशा हो, मास के अंत तक ब्याज दिया जाएगा ।

15. **कुर्की से प्रत्यय अधिशेष का संरक्षण** – किसी खाताधारक के प्रत्यय में रखी गई रकम खाताधारक द्वारा उद्भूत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा ।

16. **साधारण नियम का आवेदन** – साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो ।

17. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप -1

[पैरा 3 का उप–पैरा (1) देखें]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ

श्रीमान,

मैं ----------------------------(खाता धारक/संरक्षक) एतद्द्वारा लोक भविष्य निधि स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं ।

मै आरंभिक जमा के रुप मे -----------------/--------------------------------------रुपए)

नकद/चैक/डीडी सं. ----------------तारीख-------------द्वारा निविदान करते हैं ।

मेरी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैः-

1. खाता धारक का नाम

पति/पिता/माता का नाम

जन्म तिथि --------------------------------------

तारीख/मास/वर्ष (शब्दों में)---------

2. अवयस्क खाता धारक का नाम

पिता/माता का नाम या संरक्षक

जन्म तिथि ---------------------------------------

तारीख/मास/वर्ष (शब्दों में)---------

3. खाता धारक/संरक्षक का आधार संख्या ---

4. खाता धारक/संरक्षक के स्थायी खाता संख्या (पैन) --------------------------------

5. वर्तमान पता---

स्थायी पता --

6. सम्पर्क ब्यौरे — दूरभाष संख्या

मोबाइल नं.

ई-मेल आई डी

7. खाते का प्रकार — एकल या अवयस्क या

विकृतचित के संरक्षक के माध्यम से या दृष्टिहीन अथवा दिव्यांगजन के प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा

8.(*) अवयस्क के जन्म तारीख के ब्यौरे

(अवयस्क खाते के मामले में लागू)

(क) प्रमाण पत्र सं.

(ख) जारी करने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी

9. (*) संरक्षक का नाम (नैसर्गिक/विधिक--

(अवयस्क/विकृतचित व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा में)

10. अन्य संलग्न के वाई सी दस्तावेजो के ब्यौरे

1. पहचान का सबूत
2. पते का सबूत

11. पहिचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज विधिमान्य दस्तावेजों के रुप में स्वीकृत;

1. पासपोर्ट 2. चालान अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहिचान पत्र 4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया नरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड 5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा नाम और पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए जारी पत्र

1. खाते का संचालन किया जाएगाः- (क) संरक्षक द्वारा खाता धारक के अवयस्क होने तक

(ख) खाता धारक द्वारा जब वह वयस्क हो जाय

12. नमूना हस्ताक्षर

1--------------------2-------------------------3---------------------------------

(नाम)---------------------

मै यह घोषणा करता हूं कि में क्रम संख्या 1 पर वर्णित स्वयं/अवस्यक के नाम से लोक भविष्यनिधि खाता, देश के किसी भी डाकखाना/बैंक में नहीं खुलवाया हूं

मैं पुनः यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाम खुले खाते में अधिकतम जमा सीमा का पालन करुंगा और पैरा 4 में उपबंधित अवयस्क के नाम और सीमा से अधिक जमा को स्कीम का उल्लंघन माना जाय।

मैं पुनः घोषणा करता हूं कि मै और अवयस्क दोनों भारत में निवासी नागरिक हैं और वचन देता हूं कि भविष्य में निवास/नागरिकता के बदलने की दशा में खाता कार्यालय को सूचित करुंगा।

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, का पालन का वचन देता हूं ।

तारीख

खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर

या अंगूठा छाप

नामनिर्देशन

13. मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियो का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगीः

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के) और संबंध	पूरा पता (पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (को) ----------विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती(यां) अवयस्क है/हैं, मै श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्री/पुत्र/पत्नी-----------निवासी ------को नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं।

1. साक्षी के हस्ताक्षर---

   नाम और पता---

2. साक्षी का नाम

   नाम और पता

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता ---------के नाम में तारीख------को रु.-----के आरंभिक जमा के साथ---------खाता संख्यांक----- तारीख -----द्वारा खोला गया है ।

ग्राहक पहचान संख्यांक----

नाम निर्देशन संख्यांक------तारीख------द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररुप-2

[पैरा 10 और पैरा 8 का उप-पैरा(1) देखे]

(आहरण/ऋण के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक

श्रीमान,

मै -------------------------------- (खाताधारक/संरक्षक) एतदद्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे खाते से ऋण/आहरण के लिए आवेदनः-

खाता संख्या ---

आवेदित ऋण/आहरण की रकम---

यह प्रमाणित किया जाता है कि आहरण के लिए चाही गई रकम /लिया गया ऋण जीवित और विद्यमान अवयस्क..................के उपयोग के लिए आपेक्षित है ।

2. ------------------- कृपया मेरे एसबी खाता संख्या--------------------में ऋण/आहरण की जमा रकम
(लेखा कार्यालय का नाम)

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले के खाते में देय चेक को जारी करें ।

या

कृपया नकदी में भुगतान करें (यह तभी लागू होगा जब रकम अनुज्ञेय नकदी भुगतान की सीमा से कम है।)

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि आहरण/ऋण के अनुदान के लिए स्कीम में अधीन लागू सभी उपबंधों का अनुपालन किया गया है ।

आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि लागू हैं नीचे संलग्न हैः-

1.

2.

तारीख खाताधारक/संरक्षक के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान

-- द्वारा अनुप्रमाणित किया गया -----

(अंगूठे के निशान की दशा में अनुप्रमाणन लागू होगा)

कार्यालय के उपयोग हेतु

संदाय विवरण

खाते में उपलब्ध राशि ---रु.

प्रारम्भिक अभिदान की तारीख ---

तारीख जब अंतिम आहरण/ऋण अनुज्ञात किया गया था -----------------------------

आहरण/ऋण के लिए मंजूर की गई कुल रकम---------------------------------(अंकों में)

---(शब्दों में)

तारीख मुद्रा डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(खाता धारक द्वारा भरा जाय)

---------------(अंकों में)---(शब्दों में) रुपए

नकद द्वारा प्राप्त हुए /चैक /डीडी संख्या -----------तारीख --द्वारा खाता संख्या ------------------------------------ -में अंकित किए गए

तारीख

खाता धारक/संरक्षक के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्ररुप – 3

[पैरा 11 के उप-पैरा (1) देखें]

(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाकघर/बैंक का नाम-------------------------------------- तारीख------------------

खाता संख्या ---

1. मै पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे उपरोक्त वर्णित खाते को तारीख ----------------------------- पर परिपक्क होने पर बन्द करने के लिए आवेदन करता हूं।
2. कृपया मेरे परिपक्क खाते में से उपयुक्त अतिशेष-------------- ---------------कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या -----------------------में रकम जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी करे।

कृपया नकद संदाय करे (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विदयमान अवयस्क ---------------------------के उपयोग के लिए आपेक्षित है ।

खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान खाते वाले कार्यालय से परिचित व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

संदेय आदेश

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

तारीख---------------

संदाय के ब्यौरे

मूल रकम रुपयों में--

(+) ब्याज रकम रुपयों में ---

(-) अधिदत्त ब्याज की वसूली---रूपये

यदि कोई कटौती है--- रूपये

देय कुल राशि--- रूपये

भुगतान------------------- रूपये (आंकड़ों में)----------------------------------- (शब्दों में)

स्थान:

तारीख:

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

------------ खाता संख्या के अंतरण द्वारा---------------- तारीख-------------------- नकद/चेक/डीडी बीयरींग संख्या------------ ----------------- द्वारा--------------------- (शब्दों में)--------------------------- आँकडों में रूपये प्राप्त ।

तारीख:

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप- 4

(पैरा 12 का उप पैरा- 1 देखें)

(खाते के विस्तार के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक---

श्रीमानजी,

1; मेरा पी पी एफ खाता संख्या----------------------------------- तारीख------------------------ को परिपक्व हो गया है ।

2; मैं अपने पी पी एफ खाता संख्या------------------------ का आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने के लिए अनुरोध करता/करती हूँ ।

3; मैंने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तार के दौरान खाते पर लागू निबंधनों और शर्तो को समझ लिया है और उसका पालन कंरुगा/करुँगी ।

मैं धोषणा करता/करती हूँ कि मेरी और अवयस्क की (अवयस्क के खाते के मामलें में) 5 वर्ष की अवधि के प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता कायम रहेगी ।

स्थान-----------------------

तारीख---------------------

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर

(नाम और पता)

कार्यालय प्रयोग के लिए

खाता सं0---------------------------- जो तारीख-------------------- को -------------------- रूपये के साथ खोला गया था और तारीख------------------------ को परिपक्व हुआ था, का ------------------- स्कीम के ------------------------------ नियम के अधीन तारीख----------------------- से -------------- तक---------------- वर्षो की अवधि के लिए विस्तार किया गया है ।

अभिलेखों और पासबुक और जमा रसीद/खाते के विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां की जा चुकी है ।

तारीख:

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप- 5

(पैरा 13 का उप पैरा- 1)

(समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक---

श्रीमानजी,

1; मैं अपना बचत खाता संख्या----------------------------------- जिसका अतिशेष------------------------- (मात्र ----------------- रूपये) हैं को समयपूर्व बंद करना चाहता/चाहती हूँ और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को धटाने के पश्चात् रकम का संदाय करने का अनुरोध करता/करती हूँ:-

कृपया---------------------- (कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या------------------------ में रकम जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें।

या

कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)

2; मैं यह धोषणा करता/करती हूँ कि वह शर्त जिसके अधीन खाता परिपक्कता से पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है।

निम्नानुसार यथा लागू आवश्यक दस्तावेज संलग्न है:-

1

2

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विद्यमान अवयस्क------------------------ के उपयोग के लिए अपेक्षित है।

तारीख---------------------

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

संदाय के ब्यौरे

खाते में उपयुक्त अतिशेष---

घटाई गई शास्ति की रकम---

संदत्त किए जाने वाली कुल रकम-- (अंकों में)

(शब्दों में)---

तारीख:

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

निस्तारण पत्र

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

----------- (अंको में)---------------------------- (शब्दों में) रूपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी संख्या----------- तारीख------ -------------------- द्वारा खाता संख्या--------------------------- में अंतरित किए गए ।

तारीख:

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "account" means an account under this scheme;

(b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;

(c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) "Form" means forms appended to this Scheme;

(e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(f) "year" means the financial year.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

3. Limits of number of accounts.-(1) An individual may open an account by making an application in Form-1.

(2) An individual may also open one account on behalf of each minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian:

Provided that only one account shall be opened in the name of a minor or a person of unsound mind by any of the guardian.

(3) Joint account shall not be opened under this Scheme.

4. Limits of subscription.-(1) A deposit which shall not be less than five hundred rupees and not more than one lakh fifty thousand rupees in multiple of fifty rupees may be made in an account in a year.

(2) Maximum limit of one lakh fifty thousand rupees as specified in sub-paragraph (1) by an individual shall be inclusive of the deposits made in his own account and in the account opened on behalf of the minor.

5. Manner of making deposit.- (1) The account shall be opened with a minimum initial deposit of five hundred rupees and thereafter deposit of any sum in multiples of fifty rupees shall be made.

(2) The deposit in the account subject to the limits mentioned in paragraph 4 may be made in the account in one lump sum or in instalments.

6. Discontinuation of account.-(1) Any account in which the account holder, having deposited five hundred rupees in the initial year, fails to deposit the minimum amount in the following years, shall be treated as discontinued.

(2) An account treated as discontinued under sub-paragraph (1), may be revived during its maturity period on payment of a fee of fifty rupees along with arrears of minimum deposit of five hundred rupees for each year of default:

Provided that the balance in a discontinued account not revived by the account holder before its maturity shall continue to earn interest at the rate applicable to the Scheme from time to time.

(3) The account holder of a discontinued account shall not be eligible to open a new account before closure of such discontinued account after maturity:

Provided that the facility of loan and partial withdrawal shall not be allowed in such an account and the account holder shall be prohibited from opening another account in his name under this Scheme till final closure of such account.

(4) Facility of loan and partial withdrawal shall be allowed to regular accounts only as per the provisions of this Scheme.

(5) The total deposit in a year as specified in paragraph 4, shall be inclusive of deposits made in respect of years of default of the preceding years but excluding the default fee.

7. Interest.- (1) Interest at 7.9 per cent. per annum shall be eligible for a calendar month on the lowest balance at the credit of an account between the close of the fifth day and the end of the month.

(2) Interest shall be credited to the account at the end of each year.

(3) Interest shall be credited at the end of the year irrespective of the change of the account office due to transfer of the account during the year.

8. Loans.- (1) At any time after the expiry of one year from the end of the year in which the initial subscription was made but before expiry of five years from the end of the year in which the initial subscription was made, the account holder may, apply in Form-2, to the accounts office for obtaining a loan consisting of a sum of whole rupees not exceeding twenty-five per cent. of the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which the loan is applied for.

(2) In case of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind, the guardian may apply for the loan for the benefit of the minor or the person of unsound mind by submitting the following certificate to the accounts office, namely:-

"Certified that the amount sought to be withdrawn is required for the use and welfare of Shri/Smt./Master/ Kumari……………………………. who is a minor/ a person of unsound mind/ a person incapable of operating his account due to physical infirmity and is alive on this……the day of…………..(month), ……….(year).".

(3) An account holder shall not be entitled to get a fresh loan so long as earlier loan has not been repaid in full together with interest thereon.

(4) An account holder shall be entitled for only one loan in a year.

9. Repayment of loan and interest.- (1) The principal amount of a loan shall be repaid by the account holder before the expiry of thirty-six months from the first day of the month following the month in which the loan is sanctioned:

Provided that the repayment may be made either in one lump sum or in instalments.

(2) After the principal amount of the loan is fully repaid, the account holder shall pay interest thereon in not more than two monthly instalments at the rate of one per cent. per annum of the principal for the period commencing from the first day of the month following the month in which the loan is drawn upto the last day of the month in which the last instalment of the loan is repaid:

Provided that where the loan is not repaid, or is repaid only in part, within a period of thirty-six months, interest on the amount of loan outstanding shall be charged at six per cent. per annum instead of at one per cent. per annum with effect from the first day of the month following the month in which the loan was obtained, to the last day of the month in which the loan is finally repaid.

(3) The interest on the amount of loan outstanding under the proviso to sub-paragraph (2) and any portion of interest payable, but not paid, on any loan, the principal amount of which has already been repaid within the period of thirty-six months, may, on becoming due, be debited to the holder's account.

(4) The interest recoverable shall accrue to the Central Government.

(5) The interest on outstanding loans which are not paid before the expiry of thirty-six months or paid partly shall be debited to the holder's account at the end of each year.

(6) In case of death of the account holder, the nominee or legal heir shall be liable to pay interest on the loan availed by the account holder but not repaid before his death. Such amount of due interest shall be adjusted at the time of final closure of the account.

10. Withdrawal from account.- (1) Any time after the expiry of five years from the end of the year in which the account was opened, the account holder may, avail withdrawal by applying in Form-2, from the balance to his credit, an amount not exceeding fifty per cent. of the amount that stood to his credit at the end of the fourth year immediately preceding the year of withdrawal or at the end of the preceding year, whichever is lower:

Provided that the amount of loan outstanding, if any, along with interest shall be paid by the account holder before availing the facility of withdrawal under this paragraph:

Provided further that the facility of withdrawal may be availed only once in a year only from the accounts which have not become discontinued.

(2) In case of an account opened on behalf of a minor, or a person of unsound mind, the guardian may apply for the withdrawal for the benefit of the minor or a person of unsound mind by submitting the following certificate to the accounts office, namely:-

"Certified that the amount sought to be withdrawn is required for the use and welfare of Shri/Smt./Master/ Kumari……………………………. who is a minor/ a person of unsound mind/ a person incapable of operating his account due to physical infirmity and is alive on this……the day of…………..(month), ……….(year).".

11. Closure of account or continuation of account without deposits after maturity.- (1) Any time after the expiry of fifteen years from the end of the year in which the account was opened, the account holder may apply in Form-3 to the accounts office for the closure of his account. The accounts office shall allow the withdrawal of the entire balance along with due interest up to the last day of the month preceding the month in which the account is closed.

(2) The account holder may retain his account after maturity without making any further deposits for any period and the balance in the account will continue to earn interest at the rate applicable to the Scheme:

Provided that the account holder may make one withdrawal, in each year, of any amount within the balance.

(3) Once the account is continued without deposits for more than a year, the account holder shall not have the option again to continue the account with deposits.

12. Extension of account with deposits after maturity.- (1) Subject to the provisions of paragraph 11, the account holder on the expiry of fifteen years from the end of the year in which the account was opened, may extend his account and continue to make deposit under paragraph 4 for a further block period of five years by applying to the accounts office in Form-4.

(2) The option of extension of account under sub-paragraph (1) shall be made by the account holder before expiry of one year from the maturity of the account:

Provided that an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind may be extended at the request of the guardian.

(3) No deposits can be made in the account, if the account holder fails to give his option to continue the account within one year from the date of maturity. Any deposit made in such account shall be treated as irregular and refunded by the accounts office immediately without any interest:

Provided that the balance in the account on the date of maturity shall continue to earn interest upto the end of the month preceeding the month of closure.

(4) Facility of partial withdrawal under paragraph 10 of the Scheme shall be available to the account extended under sub-paragraph (1), subject to the condition that the total withdrawal during the block period of five years shall not exceed sixty per cent. of the balance at credit at the commencement of the block period:

Provided that the withdrawal, subject to the ceiling as specified above may be made either in a single or in yearly instalments.

(5) Provisions of sub-paragraphs (1) to (4) shall also apply on accounts after maturity on expiry of the each extended block period of five years.

(6) If the account is continued with deposits for one or more five block periods, the account holder may leave the account without deposits on completion of any block period and the account shall continue to earn interest till it is closed and the account holder may make one withdrawal every year from the account.

(7) An account holder who has given his option for the extension of the account for a period of five years shall not have the option to withdraw his request at a later stage.

13. Premature closure of account.- (1) An account holder shall be allowed premature closure of his account or the account of a minor or person of unsound mind of whom is the guardian on an application to the accounts office in Form-5, on any of the following grounds, namely:-

(a) treatment of life threatening disease of the account holder, his spouse or dependent children or parents, on production of supporting documents and medical reports confirming such disease from treating medical authority;

(b) higher education of the account holder, or dependent children on production of documents and fee bills in confirmation of admission in a recognised institute of higher education in India or abroad;

(c) on change in residency status of the account holder on production of copy of Passport and visa or Income-tax return:

Provided that an account under this Scheme shall not be closed before the expiry of five years from the end of the year in which the account was opened:

Provided further that on such premature closure, interest in the account shall be allowed at a rate which shall be lower by one per cent. than the rate at which interest has been credited in the account from time to time since the date of opening of the account, or the date of extension of the account, as the case may be.

14. Closure of account on death of the account holder.- (1) In the event of the death of the account holder, the account shall be closed and the nominee or the legal heir shall not be allowed to continue the account.

(2) The balance in the account of the deceased account holder shall earn interest till the end of the month preceeding the month in which the eligible balance is paid to the nominee or the legal heir, as the case may be.

15. Protection of credit balance from attachment.- Amount standing to the credit of any account holder shall not be liable to attachment under any order or decree of any court in respect of any debt or liability incurred by the account holder.

16. Application of General Rules.- Provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provisions have been made in this Scheme.

17. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[*See* sub-paragraph (1) of paragraph 3]

(Application for opening an account)

Paste photograph of applicant/s

To

The Postmaster/Manager

………………………………………………

………………………………………………

Sir,

I ………………………..(account holder/guardian) hereby apply for opening of an account under Public Provident Fund Scheme.

I tender herewith Rs……………………../- (Rs……………………………………………………………………….) in cash/Cheque/DD. No………………… date………. as initial deposit. My particulars are as under:-

1. Name of account holder
   ………………………………………………………………
   Husband/Father /mother's name
   ………………………………………………………………
   Date of Birth ……… ..……… ………………
   (DD / MM / YYYY)
   (In words)……………………………………………

OR

2. Name of minor account holder
   ………………………………………………………………
   Father /mother's name or the guardian
   ………………………………………………………………
   Date of Birth ……… ..……… ………………
   (DD / MM / YYYY)
   (In words)……………………………………………

3. Aadhaar Number of account holder/guardian
   …………………………………………………………..
4. Permanent Account Number (PAN) of account holder /guardian
   …………………………………………………………..
5. Present Address …………………………………………………………
   …………………………………………………………..

Permanent Address ………………………………………………………….
…………………………………………………………..

6. Contact details Telephone Number……………………………..
   Mobile Number…………………………………
   Email ID………………………………………
7. Type of Account Single or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorized person.

8. (*) Details of date of birth proof ………………………………………………………

(Applicable in case of minor account)

d) Certificate No. ………………………………………………………………..

e) Date of Issue ……………………………………………………………….

f) Issuing authority ……………………………………………………………….

9. (*) Name of Guardian (Natural/Legal) …………………………………………………………

(In case the account is opened on behalf of a Minor/person of unsound mind)

10. Details of other KYC documents attached

1. Proof of identification ……………………………………………………

2. Address proof ……………………………………………………

11. (The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address);

1. The operation of the account will be:- (a) By the Guardian till the account holder attains majority. (b) By the account holder on attaining majority,

12. Specimen Signatures

1………………………… 2……………………………. 3.,……………………………
(Name)…………………………………………………………

I hereby declare that I have not opened a Public Provident Fund Account in the name of the myself/minor mentioned at serial number 1 in any of the Post office/Bank in the country.

I further declare that I will abide by the ceiling of maximum deposit in the accounts opened in my name and in the name of minors as per provision of paragraph 4 and any deposit in excess of the ceiling will be treated as in contravention to the Scheme.

I further declare that I and the minor both are Resident citizen of India and undertake to inform the account office of any change in our residency/citizenship status in future.

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of account holder /guardian

Date:……………………

Nomination

13. I…………………………………………..hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s)…………………………………specified above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt/Kumari……………………………………………..S/o,D/o,W/o………………………………… ……………………………………..Address…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness…………………………………….

Name & Address……………………………………………..

2. Signature of witness…………………………………….

Name & Address……………………………………………..

Signature or thumb impression of account holder or guardian

Place:

Date:

For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of…………………………………on……………………..with initial deposit of Rs………………………………………. with Account No.__________________________ dated______________________________.

Customer identification Number………………………………..

Nomination has been registered vide

No…………………………………………………….…………..dated………………………………………..

Signature and seal of competent authority.

FORM - 2

[*See* sub-paragraph (1) of paragraph 8 and paragraph 10]

(Application for Loan/Withdrawal)

To,

The Postmaster/Manager

…………………………………………………

…………………………………………………

Sir,

I ………………………………………………………………(account holder /guardian) hereby apply for loan/withdrawal from my account as per details below:-

Account Number:...

Amount of Loan/withdrawal applied..

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of ……………………………………who is alive and still a Minor.

2. Please Credit the amount of loan/withdrawal to my SB Account no.________________________ standing at______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit of cash payment).

3. I certify that all the provisions applicable under scheme for grant of withdrawal/loan have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

1.

2.

Date:-_______________ Signature or thumb impression of account holder/guardian

Attested By__________________

(Attestation is applicable in case of thumb impression)

For office use only

Payment detail

Amount available in Account Rs .______________________________________

Date of Initial Subscription ____

Date on which last withdrawal/loan was allowed _________________________

Total Amount granted for withdrawal/loan Rs ._________________(In figures)

(In words)____

Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder)

Received Rs ._____________(In figures)______________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing no……………………………………dated…………………./by transfer to Account No...............................

Date Signature/thumb impression of account holder /guardian

FORM – 3

[*See* sub-paragraph (1) of paragraph 11]

(Application for closure of account)

Name of Post Office/Bank___________________________ Date___________________

Account Number___________________________

1. I hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my above mentioned account matured on________________.

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no.________________________ standing at______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of ……………………………………who is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of account holder /guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date ....

Payment detail

Principal amount Rs.____

(+) Interest due Rs. ____

(-) Recovery of overpaid interest Rs.______________________________

Deduction if any Rs____

Total Amount due Rs____

Pay Rs.____________________(in figurers)____________________________________(in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs .____________(In figures)_____________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing no…………………………………….dated…………………./by transfer to Account No..............................

Date: Signature/thumb impression of account holder /guardian

FORM - 4

[*See* sub-paragraph (1) of paragraph 12]

(Application for extension of account)

To,

The Postmaster/Manager

…………………………………………………

…………………………………………………

Sir,

1. My PPF account number____________ has matured on______________.
2. I request for extension of my PPF account number_______________for a further block period of five years.

3. I have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of extension under the said scheme as amended from time to time and shall abide by them.

I hereby declare that I, and the minor(in case of minor account) continues to be Resident Citizen of India at the time of commencement of the block period of five years.

Date Signature of the account holder /guardian

Place (Name and address)

For the use of Accounts Office

The account no………………………. which was opened on …………….. with Rs………………… (Rupees………………………………………………..) and matured on ……………………, has been extended for a period of ______ years with effect from ……………….. to ………………….under rule.............of the....................scheme.

Necessary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.

Date Signature of Postmaster/Manager

Seal

FORM - 5

[*See* sub-paragraph (1) of paragraph 13]

(Application for premature closure of account)

To,

The Postmaster/Manager

…………………………………………………

…………………………………………………

Sir,

1. I wish to prematurely close my Account No________________________ having balance of ____________________(Rupees______________________ Only) and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty, as per details given below:-

Please Credit the amount to my SB Account no.________________________ standing at___________________________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

2. I hereby declare that the provisions under which the account can be closed before maturity have been complied with.

Necessary documents as applicable are attached as under:-

1.

2.

*Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use of ………………………………………who is alive and still a Minor.

Date:-______________ Signature or thumb impression of account holder /guardian

----

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

Payment detail

Eligible balance in Account ₹ .______________________________________

Less Penalty amount ₹.____

Total Amount to be paid ₹ .______________________________(In figures)

(In words)____

Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)

Received Rs .____________(In figures)_____________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing No.)_________________dated_____________/by transfer to Account No____.

Date: Signature/thumb impression of account holder /guardian

Place :

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 916(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, (1873 का 5) की धारा 3क और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम में खाता अभिनिर्धारित है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(च) "वर्ष" से खाता में निक्षेप की तारीख से प्रारंभ होने वाले बारह माह की अवधि अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं वे अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और साधारण नियमों में उनके हैं ।

3. खाता खोलना- (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करते हुए लेखा कार्यालय में प्ररूप-1 में आवेदन करके खाता खोल सकेगा, अर्थात्:-

(i) जिन्होंने खाता खोलने की तारीख को साठ वर्ष की आयु प्राप्त की है;

(ii) जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किंतु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा की तारीख को सेवानिवृत्त हो गया है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सेवानवृत्ति फायदे की तारीख के एक मास के भीतर ऐसे व्यष्टि जिसके द्वारा खाता खुलवाया गया है और अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्त होने, नियोजन होने के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए नियोजक का एक प्रमाणपत्र के साथ-साथ ऐसे सेवानिवृत्ति फायदा (फायदे) के वितरण का सबूत और नियोजक के पास ऐसे नियोजन की अवधि आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न है :